Dr. REETU RAJ

Assistant Professor

Department of HISTORY

RAJA SINGH COLLEGE SIWAN

(Jai Prakash University Chapra)

Lecture Notes on - **ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन। (Note-1)**

(for TDC Part 1 HISTORY HONOURS)

ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक जीवन।

भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जब आर्य भारत में आये तो उनका यहाँ के दास अथवा दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ, अन्ततः आर्यों को विजय मिली। ऋग्वेद में आर्यों के पांच कबीले के होने की वजह से पंचजन्य कहा गया। ये थे -पुरु, यदु, अन, तुर्वश एवं द्रुह्यु। भरत, क्रिवि एवं त्रित्सु आर्य शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनके पुरोहित थे वशिष्ठ । कालान्तर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य दस जनों, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्यु, अकिन, पक्थ, भलानस, विषाणिन और शिव के मध्य दाशराज्ञ युद्ध परुष्णी (रावी) नदी के किनारे लड़ा गया जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात् पराजित राजा पुरु और भरत के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित होने से एक नवीन 'कुरु वंश' की

स्थापना की गयी।

ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था, कबीले को जन भी कहा जाता था। कबीले या जन का प्रशासन कबीले का मुखिया राजा करता था करता था, जिसे 'राजन' कहा जाता था। इस समय राजा का पद पैतृक हो चुका था तथापि राजा का निर्वाचन की भी चर्चा मिलती है। राजा को पुरचेत्ता,विशापति, गणपति, ग्रामणी आदि उपाधि से जाना जाता था। प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती थी और उसे कर (बली) देती थी।राजा के अधिकारों पर कोई कानूनी अंकुश न था परन्तु व्यावहारिकता में उसके अधिकार उसके स्वयं के कर्तव्यों (राज्यधर्म), उसके बड़े अधिकारियों और जन-समितियों के प्रभाव के कारण सीमित होते थे। राजा के प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा के जीवन, सम्मान और सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसके लिए युद्ध करना, राज्य-विस्तार करना, न्याय करना, अपराधियों को दण्ड देना आदि थे।

ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन्हें गणराज्य

पुकारा जा सकता है। ऐसे राज्यों में शासक जनता के द्वारा चुनी जाती थी। ये शासक 'गणपति' अथवा ज्येष्ठ' कहलाते थे। कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ कम व्यक्ति समूह मिलकर शासन करते थे जिन्हें कुलीनतन्त्र पुकारा जा सकता है। परन्तु गणतन्त्रों एवं कुलीनतन्त्रों की संख्या बहुत कम थी।

राजा के प्रमुख शासन-अधिकारी-पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी होते थे। पुरोहित का कार्य राजा को परामर्श देना , धार्मिक कार्य को संपादित कराना तथा अन्य सभी कार्यों में मुख्य रूप से साथ देना था। वशिष्ठ और विश्वामित्र सदृश पुरोहितों का बहुत सम्मान और प्रभाव था। सेनानी सेना का प्रधान होता था। उसका कार्य सैनिक-संगठन की देखभाल करना और राजा की अनुपस्थिति में सेना का सेनापतित्व कुशलतापूर्वक करना था। ग्रामणी गाँव में राजा का प्रमुख सैनिक व असैनिक अधिकारी था। राजा दूत और गुप्तचर रखते थे।

न्याय और दण्ड-व्यवस्था में कानूनों की कोई विधिवत् व्यवस्था न थी। परम्परागत रिवाजों को ही कानून की

संज्ञा दी जाती थी और उन्हीं के आधार पर न्याय किया जाता था। न्याय करना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। पंचों के द्वारा भी निर्णय किये जाते थे। चोरी, डकैती, पशु चुराना आदि अपराध माने जाते थे। कहीं-कहीं बन्दीगृहों का भी उल्लेख मिलता है अन्यथा अपराधियों को सूली से बाँध दिया जाता था, अपमानित किया जाता था अथवा जुर्माना देने के लिए बाध्य किया जाता था हत्या करने वाले को उसका मूल्य चुकाना पड़ता था दिवालिए को दास बनाया जाता था। पुत्र संपत्ति का अधिकारी होता था।

References: Internet & Competitive books.